कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

Ph.& Fax No. 07781-252483 **E-Mail ID – cmhonpur@gmail.com**

क्रमांक/नीति आयोग/मु.चि.अ/2025–26/1103 **नारायणपुर, दिनांक 20/3/2026**

//प्रेस विज्ञप्ति//

नीति आयोग, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक 67 दिनांक 11/07/2025 आकांक्षी जिला कार्यक्रम अन्तर्गत नारायणपुर जिले लिए कुल **01 न्यूरोलॉजिस्ट एवं 01 जिला समन्वयक, मानसिक स्वास्थ्य** का पद रिक्त है, जिसे आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी/फर्म/एन.जी.ओ. के चयन के लिए नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदक द्वारा अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में दिनांक **06.03.2026** के 03.00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – नारायणपुर के आवक–जावक शाखा में जमा किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों को उक्त तिथि को 3.30 बजे अपरान्ह में अध्यक्ष, एवं गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा। रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की विस्तृत विवरणी, शर्तें व आवेदन का प्रारूप नारायणपुर जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in पर देखी जा सकती है। किसी भी शंका का समाधान हेतु कार्यालय अवधि के दौरान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– नारायणपुर (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/नीति आयोग/मु.चि.अ/2025–26/1103 **नारायणपुर, दिनांक 20/3/2026**

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना अधिकारी, जिला–नारायणपुर (छ.ग.) को जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
2. जनसंपर्क अधिकारी, जिला नारायणपुर छ0ग0 की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– नारायणपुर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – नारायणपुर (छ0ग0)
रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) तृतीय आमंत्रण सूचना–03/2025–26

नीति आयोग, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक 67 दिनांक 11/07/2025 आकांक्षी जिला कार्यक्रम अन्तर्गत नारायणपुर जिले लिए कुल **01 न्यूरोलॉजिस्ट एवं 01 जिला समन्वयक, मानसिक स्वास्थ्य** का पद रिक्त है, उक्त पद को आउटसोरिंग प्रक्रिया से पद की पूर्ति करने के निर्देश के परिपालन में आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्लेसमेंट संबंधी एजेंसी/कम्पनी/फर्म/एन.जी.ओ. के चयन के लिए नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आवेदक यथा प्लेसमेंट संबंधी एजेंसी/ फर्म/एनजीओं द्वारा अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में दिनांक **06.03.2026** के 03.00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – नारायणपुर के आवक–जावक शाखा में जमा किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों को उक्त तिथि को 3.30 बजे अपरान्ह में अध्यक्ष, एवं गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा। रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) की विस्तृत विवरणी, शर्तें व आवेदन का प्रारूप नारायणपुर जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in पर देखी जा सकती है। किसी भी शंका का समाधान हेतु कार्यालय अवधि के दौरान कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताएँ :–

1. आवेदक कोई भी प्लेसमेंट एजेंसी, फर्म अथवा एन.जी.ओ. हो सकता है जो न्यूनतम तीन साल से पंजीकृत हो।
2. आवेदक को अग्रिम राशि के रूप में राशि रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) का FDR एक वर्ष की वैद्यता के साथ जो निविदा प्रकाशन के बाद की तिथि का बना हो तथा जो **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला – नारायणपुर** के पदनाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक प्लेसमेंट एजेंसी/फर्म/एन.जी.ओ को पैन कार्ड की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आबंटित कार्य की sub Contraction की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत रूपये 50/– के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का बना हो मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक प्लेसमेंट एजेंसी/फर्म/एन.जी.ओ को पंजीयन प्रमाण पत्र व नियमावली तथा पदाधिकारियों की सूची संलग्न करना होगा।
6. आवेदक प्लेसमेंट एजेंसी/एन.जी.ओ को किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची (Blacklisted) में दर्ज नहीं होने एवं पूरे भारतवर्ष अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कार्य आबंटित होने के बाद कार्य से असम्बद्ध या हटाया नहीं गया है। इस आशय का शपथ–पत्र रूपये 50/– के स्टाम्प पेपर में (मूलप्रति में) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक को रूचि की अभिव्यक्ति की सभी शर्तें मान्य हैं, से संबंधित नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत रूपये 50/– के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का बना हो मूल में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जायेगा, जो सर्व मान्य होगा।

Scanned with CamScanner

चयन की प्रकिया :—

1. प्लेसमेंट एजेंसी/फर्म/एन.जी.ओ. को मानव बल की सेवा हेतु सेवा शुल्क अधिकतम 07 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी।
2. उस आवेदक का चयन किया जावेगा जिसका सेवा शुल्क का दर न्यूनतम दर होगा।
3. यदि एक से अधिक आवेदक द्वारा उद्धृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।
4. निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून दर एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले आवेदकों का आवेदन विचारणीय नहीं होगा।
5. नीति आयोग, भारत सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक 67 दिनांक 11/07/2025 आकांक्षी जिला कार्यक्रम अन्तर्गत नारायणपुर जिले लिए कुल **राशि 150000.00 रूपये न्यूरोलॉजिस्ट एवं 35000.00 रूपये जिला समन्वयक, मानसिक स्वास्थ्य** के आलोक में रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) में सफल आउटसोर्सिंग एजेंसी/कम्पनी/फर्म/एन.जी.ओ. को भुगतान की जाने वाली कुल राशि रू. 1,85,000/— (रू. एक लाख पचयासी हजार मात्र) प्रति माह का मानदेय, सभी तरह के कर, शुल्क एवं कटौती शामिल रहेगा तथा पृथक से जी.एस.टी. शुल्क देय नही होगा।
6. रूचि की अभिव्यक्ति के प्राप्त आवेदनों में से चयनित आवेदन के अन्तिम सूची प्रकाशन के 03 दिवस के भीतर दावा आपत्ति कार्यालयीन समय में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर में प्रस्तुत किया जा सकेगा। प्राप्त दावा आपत्तियों के यथोचित निराकरण उपरान्त अंतिम चयन सूची जारी किया जावेगा।

सामान्य शर्ते एवं दायित्व :—

1. उपलब्ध कराये गये कर्मचारी के मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से अगले माह के 10 तारीख तक किया जाकर इसकी रसीद तथा मासिक उपस्थिति की जानकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नारायणपुर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा।
2. आउटसोर्स कर्मचारी यदि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये किसी भी प्रकार की क्षति/दुर्घटना स्वयं/किसी अन्य को पहुँचाया जाता है तो इसकी समस्त जवाबदारी संबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी/फर्म/एन.जी.ओ. की होगी।
3. अनुबंध अवधि में यदि किसी भी समय ज्ञात होता है कि अनुबंध हेतु प्रस्तुत दस्तावेज अनुचित माध्यम से प्राप्त किये गये हैं अथवा स्वरचित हैं तो शासन के नियमानुसार कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
4. अनुबंध अवधि नीति आयोग, भारत सरकार, के निर्देश अनुरूप होगा तथा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
5. अनुबंध की अवधि में विभाग के आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की पूर्ति करानी होगी।
6. अनुबंध की अवधि 01 वर्ष की होगी, अनुबंध की समाप्ति के पूर्व नवीन शर्तो के साथ आवश्यकता अनुसार अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है या नीति आयोग के नवीनतम निर्देश अनुसार घटाई जा सकती है।
7. सफल आवेदक को चयन उपरान्त इकरारनामा करना होगा।
8. अधूरा/सशर्त निविदा, फैक्स/ई—मेल से दिये गये निविदा तथा निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. सफल आवेदक को आवेदन खुलने के उपरान्त यदि अपूर्ण/बगैर हस्ताक्षर/बगैर मुहर के आवेदन पाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. बिना कारण बताए अनुबंध को अस्वीकार/रद्द/संशोधित करने का अधिकार कलेक्टर जिला नारायणपुर द्वारा प्राधिकृत प्रभारी अधिकारी, नीति आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
11. किसी भी प्रकार का विवाद का निपटारा कलेक्टर जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार में ही होगा।
12. आवेदन में उपलब्ध कराये गये सभी कागजात को स्व हस्ताक्षरित एवं क्रमांकित करना अनिवार्य होगा।
13. आवेदक द्वारा आवेदन में संलग्न कागजात/दस्तावेज, प्रमाण—पत्र एवं विवरणी असत्य पाये जाने पर आवेदक के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with CamScanner

14. मानव संसाधन की भर्ती हेतु समस्त प्रकिया प्लेसमेंट संबंधी एजेंसी/फर्म/एन.जी.ओ. द्वारा की जावेगी एवं चयन प्रकिया में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नारायणपुर के द्वारा मनोनित सदस्य/प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। आदेश के अनुसार पात्रता का विवरण निम्नानुसार है–

क्र0	पदनाम	पद संख्या	आयु सीमा 01/05/2025	पात्रता
01	न्यूरोलॉजिस्ट	01 (01 अनारक्षित)	21 से 35 वर्ष	1. एम0बी0बी0एस0 के साथ एम0डी0 मैडीसिन, डी0एम0 न्यूरोलॉजिस्ट 2. छत्तीसगढ़ मेडिकल काउसिलिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
01	जिला समन्वयक, मानसिक स्वास्थ्य	01 (01 अनारक्षित)		1. एम.फिल साईकोलॉजी, यदि योग्यता न होने की दशा में एम0एस0सी0 साईकोलॉजी /एम0ए0 साईकोलॉजी (रेगूलर) को प्राथमिकता दिया जावेगा, एवं उपरोक्त योग्यताधारी नहीं मिलने पर एम0एस0डब्ल्यू0 (रेगूलर) को अवसर प्रदान किया जावेगा।

15. कार्य अवधि के दौरान प्लेसमेंट संबंधी एजेंसी/फर्म/एन.जी.ओ. द्वारा किया जा रहा कार्य या उपलब्ध कराये गए मानव संसाधन का कार्य या दोनों में से किसी एक के कार्य संतुष्ट न होने पर ली जा रही सेवा की समाप्ति संबंधी निर्णय कलेक्टर जिला नारायणपुर द्वारा अधिकृत प्रभारी अधिकारी, नीति आयोग द्वारा लिया जायेगा, जो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। सेवा समाप्ति की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त देय प्राप्त नहीं होगा। तद्संबंध में सहमति पत्र 10 रूपये के स्टाम्प में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर दिया जाना अनिवार्य है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला– नारायणपुर (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला – नारायणपुर (छ0ग0)

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)
आवेदन पत्र

1	संस्था का नाम	:–	....
2	पूर्ण पता	:–	....
3	दूरभाष एवं फैक्स नम्बर	:–	....
4	ईमेल	:–	....
5	संस्था का जीवित पंजीयन कमांक	:–	....
6	संस्था के पदाधिकारियों की सूची	:–	....
7	संस्था का नारायणपुर जिले में कार्यालय/शाखा है तो उसका पता/सम्पर्क मो. न.	:–	....
8	संस्था की नियमावली	:–	....
9	संस्था का कार्य क्षेत्र	:–	....
10	क्या संस्था द्वारा वर्तमान में नारायणपुर जिले में सामाजिक क्षेत्र में किसी परियोजना का संचालन किया जा रहा है? (यदि हां तो दस्तावेज संलग्न करें)	:–	....
11	संस्था का TIN/PAN नं.	:–	....
12	मानव बल के आउटसोर्स हेतु प्रस्तावित सेवा शुल्क का प्रतिशत्	:–	....
	रू. 10000/– का एफडीआर संलग्न	:–	हाँ/नहीं
13	कार्य को उप अनुबंध में नहीं देने का शपथ पत्र संलग्न।	:–	हाँ/नहीं
14	ब्लैक लिस्टेड नहीं होने/शासकीय कार्य से कार्य आबंटन पश्चात असंबद्ध करने/हटाये नहीं जाने संबंधी शपथ पत्र संलग्न ।	:–	हाँ/नहीं

टीप :– चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पद मुद्रा सहित)

Scanned with CamScanner

//घोषणा पत्र//

एतद् द्वारा आवेदन आउटसोर्सिंग एजेंसी/एन.जी.ओ. यह घोषणा करता/करती है कि आवेदक फर्म को किसी सरकारी/गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची (Blacklisted) में दर्ज नहीं होने एवं पूरे भारतवर्ष अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कार्य आबंटित होने के बाद कार्य से असम्बद्ध या हटाया नहीं गया है तथा उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य एवं सही है। आवेदक आउटसोर्सिंग एजेंसी/फर्म/एन.जी.ओ. चयन की स्थिति में समस्त निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी।

स्थान ....
दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पद मुद्रा सहित)

Scanned with CamScanner